# आयकर अपीलीय अधिकरण,
# इंदौर (एकल सदस्यीय) न्यायपीठ, इंदौर

## श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 964 /इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2011-12

| | | |
|---|---|---|
| श्रीमती रंजना सागर, बडवानी | बनाम | आयकर अधिकारी सेंधवा |
| अपीलार्थी | | प्रत्यर्थी |
| स्था.ले.सं.- बीवीआरपीएस 0313 एम | | |

| | | |
|---|---|---|
| अपीलार्थी की ओर से | | कोई नहीं |
| प्रत्यर्थी की ओर से | | श्री पुनीत कुमार, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि |
| सुनवाई तिथि | : | 04.06.2020 |
| उद्घघोषणा तिथि | : | 04.06.2020 |

## आदेश

निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के आदेश दिनांक 24.06.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है । यह अपील 96 दिन से कालबाधित है । इस संबंध में निर्धारिती द्वारा विलंब की माफी हेतु शपथपत्र दाखिल किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि उसके कर सलाहकार टैक्स ऑडिट तथा जीएसटी ऑडिट में व्यस्त होने के कारण समय पर अपील दाखिल नहीं की जा सकी । अतः उसने अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने का अनुरोध किया है । मैंने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील दाखिल करने में विलंब को माफ किया जाता है ।

2. सुनवाई के दौरान मैंने पाया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी ।

3. मैंने मेरे समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । मैंने पाया कि वर्तमान अपील में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने गुणागुण पर सकारण आदेश पारित नहीं किया था जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः, न्याय के हित में, मैं विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझता हूँ । यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती है । निर्धारिती को भी इस संबंध में स्वप्रेरणा से (suo motu) विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने तथा अनावश्यक स्थगन नहीं मांगकर सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है

आदेश 04.06.2020 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(कुल भारत)

न्यायिक सदस्य

दिनांक : 04.06.2020

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल